दिनाक 11.7.1996 द्वारा स्वीकृत की गयी। महायोजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन हेतु नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या–4518/9 आवास–5–96–1 गठन/96 लखनऊ दिनांक 21. नवम्बर, 1996 द्वारा मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण का गठन किया गया, जिसमें मुजफ्फरनगर नगरपालिका परिषद एवं आसपास के 17 निम्न राजस्व ग्रामों की सीमा के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र को विकास क्षेत्र में सम्मिलित किया गया।

1.	रामपुर	7.	सरवट	13.	मन्धेड़ा
2.	बामन हेड़ी	8.	कूकड़ा	14.	खान्जापुर
3.	बधेड़ी	9.	सहावली	15.	पिन्ना
4.	शेरपुर	10.	बीबीपुर	16.	सूजडू
5.	नसीरपुर	11.	सन्धावली	17.	जड़ौदा
6.	शहाबुददीनपुर	12.	वहलना		

उक्त विकास क्षेत्र की सीमा के बाहर के क्षेत्रों में हुए विकास/निर्माणों की बढ़ रही प्रवृत्ति को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2008 में शासनादेश संख्या 1104/आठ–6–08–4–गठन–2007 दिनांक 15.4.2008 के द्वारा मुजफ्फरनगर विकास क्षेत्र की सीमा मे विस्तार किया गया, जिसके फलस्वरूप विकास क्षेत्र में 17 ग्रामों के स्थान पर अब निम्न 88 ग्राम सम्मिलित हो गये हैं :–

1.	रूकनपुर	24.	बागोवाली	48.	साँझक
2.	पीन्ना	25.	खेड़ीवीरान	49.	मीरापुर
3.	जागाहेडी	26.	बझेड़ी	50.	मन्धेड़ा
4.	दधेडू खुर्द	27.	नसीरपुर	51.	खान्जापुर
5.	सलेमपुर	28.	पचेण्ड कलाँ	52.	किनौनी
6.	महमूदपुर उर्फ लकड़सन्धा	29.	चाँदपुर	53.	जटमुझेड़ा
		30.	मखियाली	54.	मण्डूरा
7.	मिमलाना	31.	मुस्तफाबाद	55.	मुनव्वरपुर कलॉ
8.	शहाबुददीनपुर	32.	सरवट	56.	मन्सूरपुर
9.	शेरपुर	33.	कूकड़ा	57.	दूधाहेड़ी
10.	जट नगला	34.	विलासपुर	58.	जोहरा
11.	बानगर	35.	धन्धेड़ा	59.	इस्लामाबाद
12.	दीदाहेडी	36.	शेरनगर	60.	खानुपुर
13.	बामनहेडी	37.	अलमासपुर	61.	जहाँगीरपुर
14.	मलीरा	38.	सहावली	62.	अब्दुल्लानगर उर्फ सोन्टा
15.	बड़कली	39.	बीबीपुर	63.	मुनव्वरपुर खुर्द
16.	बहेडी	40.	सूजडू	64.	नावला
17.	देसलपुर	41.	सन्धावली	65.	अकबरपुर
18.	सादपुर	42.	सलाजड्डी	66.	हबीबपुर
19.	रई	43.	काजीखेड़ा	67.	हुसैनपुर बोपाड़ा
20.	मेदपुर	44.	नरा	68.	बेगरजपुर
21.	सिसौना	45.	जड़ौदा	69.	शेरपुर
22.	बढ़ेडी	46.	वहलना	70.	भैंसी
23.	रामपुर	47.	सीमली	71.	खतौली ग्रामीण

72.	खतौली	78.	खतौली शुगर मिल कालोनी	83.	अजीतपुर
73.	सठेडी			84.	रायपुर नगली
74.	सरधन	79.	शेखपुर	85.	पुटठा
75.	शहबाजपुर उर्फ तिगाई	80.	गंगधाड़ी	86.	टबिटटा
76.	मुबारिकपुर	81.	गंगधाड़ा	87.	भायंगी
77.	मंडकरीमपुर	82	लाडपुर	88.	फुलत

पूर्व में तैयार की गयी मुजफ्फरनगर महायोजना 2001 में खतौली नगर सम्मिलित नहीं था। विकास क्षेत्र के विस्तार से पूर्व खतौली नगर की महायोजना तैयार की जा चुकी थी, जिसे शासनादेश संख्या 5705/8–08–4–महा./07 दिनांक 24.11.2008 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है तथा मुजफ्फरनगर की पुनरीक्षित महायोजना में विकास क्षेत्र का शेष क्षेत्र सम्मिलित किया गया है।

महायोजना अवधि में महायोजना के अधिकाश प्रस्तावों का क्रियान्वयन न हो पाने एवं महायोजना प्रस्तावों के विरुद्ध विकास के दृष्टिगत मुजफ्फरनगर हेतु पुनः महायोजना तैयार किये जाने पर विचार किया गया। मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 23.2.2007 में मुजफ्फरनगर की वर्तमान महायोजना को पुनरीक्षित करने का निर्णय लिया गया।

2.1.5 महायोजना पुनरीक्षण की आवश्यकता

1. वर्तमान में लागू मुजफ्फरनगर महायोजना वर्ष 2001 की अवधि हेतु तैयार की गयी थी, जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी है। अतः ऐसी स्थिति में महायोजना का पुनरीक्षण अपरिहार्य हो जाता है, यद्यपि मुजफ्फरनगर महायोजना–2021 शासन द्वारा अनुमोदित हो जाने तक वर्तमान महायोजना वैधानिक रूप से लागू रहेगी।
2. वर्तमान महायोजना का वर्ष 2001 तक की भावी आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति हेतु 3,095.38 हेक्टेयर क्षेत्र विकसित हो जाने का प्रस्ताव था, जबकि वास्तविक रूप से विभिन्न भू–उपयोगों के अन्तर्गत वर्ष 2007 तक 1,938.87 हेक्टेयर भूमि ही विकसित हुई। इस प्रकार कुल प्रस्तावित महायोजना क्षेत्र का 62.63 प्रतिशत भाग ही विकसित हुआ है।
3. वर्तमान महायोजना में विभिन्न भू–उपयोगों एवं सामाजिक आर्थिक क्रियाओं को विकेन्द्रीकरण नीति के तहत विभिन्न भागों में प्रस्तावित किया गया था, परन्तु नगर में आर्थिक एवं सामाजिक क्रियाओं का विकास सघन निर्मित क्षेत्रों के अन्दर अथवा निकट ही हुआ है, जिस कारण महायोजना में निहित विकेन्द्रीकरण नीति पर प्रभाव पड़ा है।
4. गत दशक में नई तकनीक में विशेषकर सूचना प्रोद्योगिकी तथा निजी क्षेत्र में इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेन्ट आदि उच्च शिक्षा संस्थाओं के खुलने का प्रचलन बढ़ा है, जिनकी अपनी विशेष आवश्यकतायें हैं। वर्तमान महायोजना के अन्तर्गत इन सामाजिक आर्थिक क्रियाओं हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
5. महायोजना प्रस्तावों के विपरीत अवैध निर्माण हो जाने के कारण महायोजना प्रस्तावों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

उपरोक्त कारणों को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान महायोजना का पुनरीक्षण आवश्यक हो गया है।

2.1.6 महायोजना–2021 के उद्देश्य

दीर्घकालीन महायोजना का उद्देश्य मुख्य रूप से महानगरीय क्षेत्र के समग्र विकास हेतु भावी सम्भावित जनसंख्या एवं नगरीय क्रियाओं के लिए महानगरीय क्षेत्र में उपलब्ध भूमि को यथासम्भव सर्वश्रेष्ठ रूप में उपयोग करने के दृष्टिकोण से एक विस्तृत भू–उपयोग योजना, नीतियाँ एवं विकास कार्यक्रम तैयार करना है। उक्त